

एफ. सं. 6/09/2024-डीजीटीआर
भारत सरकार, वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
४थी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 08.07.2024

को,

सभी इच्छुक पक्ष,

विषय: चीन जनवादी गणराज्य एवं ताइवान से प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनों के आयात के संबंध में एंटी-डंपिंग आवेदन के संबंध में पीयूसी/पीसीएन कार्यप्रणाली।

1. यह आरंभ अधिसूचना संख्या 6/09/2024-DGTR दिनांक 29.03.2024 का संदर्भ है, जिसके अनुसार आरंभ अधिसूचना में प्रस्तावित PUC और PCN पर सभी इच्छुक पक्षों से टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई थीं। इच्छुक पक्षों से प्राप्त टिप्पणियों की जाँच की गई और विचाराधीन उत्पाद के दायरे और PCN पद्धति को अंतिम रूप देने के लिए 30 अप्रैल 2024 को शाम 04:00 बजे एक बैठक आयोजित की गई।
2. इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों के आलोक में, विचाराधीन उत्पाद का अंतिम दायरा निम्नानुसार होगा:

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनें (पीपीएम) या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें हैं, जिन्हें इंजेक्शन प्रेसर के रूप में भी जाना जाता है, जिनका उपयोग प्लास्टिक सामग्री के प्रसंस्करण और मोल्डिंग के लिए किया जाता है।

विचाराधीन उत्पाद के दायरे में सभी प्रकार की प्लास्टिक प्रसंस्करण या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें शामिल हैं, जिनका क्लैम्पिंग बल 40 टन से कम और 1500 टन से अधिक नहीं होना चाहिए।

विचाराधीन उत्पाद के दायरे में पूरी तरह से असेंबल की गई मशीनें, सेमी नॉकड डाउन (एस.के.डी.), कम्प्लीट नॉकड डाउन फॉर्म (सी.के.डी.) या एस.के.डी. और सी.के.डी. का संयोजन शामिल है। दायरे को नीचे और स्पष्ट किया गया है -

- a. अर्ध-नॉकड डाउन अवस्था में प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीन से तात्पर्य ऐसी प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीन से है जो पूरी तरह से असेंबल नहीं की गई है, बल्कि उसे प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीन के रूप में संचालित किया जा रहा है, जिसके घटक एक साथ फिट नहीं किए गए हैं और मशीन उपयोग के लिए तैयार नहीं है।
- b. पूर्णतया नष्ट अवस्था में प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीन का अर्थ अपूर्ण या अधूरा प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीन है, जो एक साथ रखे जाने पर पूर्ण मशीन का अनिवार्य स्वरूप रखती है, तथा जिसमें घटक सम्मिलित होते हैं।
- c. इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों के लिए सेमी नॉकड डाउन (एस.के.डी.) बॉडी/घटक/पुर्जे, जिन्हें 84771000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है तथा जिनमें क्लैम्पिंग बल 40 टन से 1500 टन तक होता है, जैसे क्लैम्पिंग/क्लैम्प इकाई, स्क्रू एवं बैरल सहित या रहित इंजेक्शन इकाई, मशीन बेस फ्रेम और फैंब्रिकेशन फ्रेम/कवर।

हालाँकि, निम्नलिखित प्रकार के उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है:

- i. उपशीर्षक 8477 30 04 के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत वर्गीकृत ब्लो मोल्डिंग मशीनें।
- ii. ऊर्ध्वाधर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें।
- iii. सभी इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें, जिनमें यांत्रिक गतिविधियां जैसे इंजेक्शन, मोल्डिंग बंद करना, मोल्डिंग खोलना, इंजेक्शन, स्क्रू-ड्राइव आदि स्वतंत्र सर्वो मोटर्स द्वारा नियंत्रित होती हैं और डिजिटल नियंत्रण प्रणाली होती है तथा हाइड्रोलिक इकाई के बिना होती हैं।

- iv. फुटवियर बनाने के लिए बहु-रंगीन/बहु-मोल्ड मशीनरी, फुटवियर बनाने के लिए रोटरी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनरी और फुटवियर सोल/स्ट्रैप/एडी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, जो उप-शीर्षक 8453 के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं।
- v. सेकेंड हैंड/प्रयुक्त प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनें।
3. जहां तक पी.सी.एन. पद्धति का संबंध है, क्लैम्पिंग बल को ही एकमात्र पी.सी.एन. पैरामीटर माना जाएगा।
4. सभी इच्छुक पक्षों को यह भी सूचित किया जाता है कि यह अंतिम पीसीएन/पीयूसी अधिसूचना है। इसके अलावा, पीसीएन के संबंध में प्राधिकरण द्वारा किसी भी संशोधन/टिप्पणी/तर्क पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. उपर्युक्त के मद्देनजर, सभी इच्छुक पक्षों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त पीसीएन/पीयूसी के अनुसार **20.07.2024 तक प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें**। चूंकि एंटी-डॉपिंग जांच समयबद्ध है, इसलिए प्राधिकरण द्वारा प्रश्नावली के जवाब दाखिल करने के लिए समय में कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।
6. यह निर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सम्मान

एसडी/-

राजीव कुमार सोनी

निदेशक (एफटी)

ईमेल: jd12-dgtr@gov.in